मध्य प्रदेश में नि:शक्तजनों के कल्याण हेतु नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन (एन.एच.एफ.डी.सी.) एवं प्रदेश के पॉच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पहल

भोपाल, 12.09.2012

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश के पॉच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों शारदा ग्रामीण बैंक, क्षाबुआ–धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा–भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्य भारत ग्रामीण बैंक तथा रीवा–सीधी ग्रामीण बैंक के मध्य आज भोपाल में एक समझौते पर संयुक्त रुप से हस्ताक्षर किये गये। नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैन्स एण्ड डिवैल्पमेन्ट कार्पोरेशन की तरफ से श्री हर्ष भाल, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक एवं पॉच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ओर से उनके अध्यक्षों ने हस्ताक्षर किये।

इस समझौते के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मध्य प्रदेश के नि:शक्तजनों को स्वरोजगार व उच्च शिक्षा हेतु केडिट गारंटी योजना के माध्यम से रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करायेंगें। इस पहल से मध्य प्रदेश के लगभग 14 लाख नि:शक्तजनों को लाभ पहुॅचेगा। समझौते के अनुसार लघु एवं सूक्ष्म उघोंगो की स्थापना हेतु ऋण केडिट गारंटी योजना कि तहत सुरक्षित होगा। नि:शक्तजनों के समाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु रियायती ब्याज दरों पर उच्च शिक्षा हेतु ऋण भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार उपलब्ध करायें जायेंगें।

इस अवसर पर सचिव, समाजिक कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार व आयुक्त (नि:शक्तजन) मध्य प्रदेश भी उपस्थित थें।